CGDH040012342022

Presented on : 11-10-2022
Registered on : 11-10-2022
Decided on : 09-02-2026
Duration : 3 years 3 months 29 days

-:: FORM-D::-

IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS KURUD, DISTRICT- DHAMTARI (C.G.) Presiding Officer - Rajat Kumar Nirala
(Date of the Judgment 09/02/2026) (Criminal Case No. 1034/2022) (Central Filling No. 1093/2022) (CNR No. CGDH04-001234-2022) (Details of FIR No. 489/2022, Police Station - Kurud, District - Dhamtari)

COMPLAINANT	थाना-कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग.)
REPRESENTED BY	श्री भूपेन्द्र कुमार डहरिया, ए.डी.पी.ओ.।
ACCUSED	प्रवीण जैन, पिता अशोक जैन, उम्र 24 वर्ष, निवासी एम.जी.वार्ड जिला पंचायत के पीछे कांकेर थाना व जिला कांकरे (छ.ग.)
REPRESENTED BY	श्री रमेश सिन्हा अधिवक्ता।

-:: FORM-E::-

Date of Offence	29/07/2022
Date of FIR	01/08/2022
Date of Charge Sheet	11/10/2022
Date of Framing of Charges	09/02/2025
Date of Commencement of Evidence	--
Date of Which Judgment is Reserved	--
Date of the Judgment	09/02/2026
Date of the Sentencing Order, If Any	NA

–:: ACCUSED DETAILS::–

Rank of the Accused	Name of the accused	Date of arrest	Date of release on Bail	Offence charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
02.	प्रवीण जैन	17.08.2022	17.08.2022	धारा 279, 337 भा.द.सं.	Convicted u/s धारा धारा 279, 337 भा.द.सं.	अर्थदण्ड	NA

–:: FORM–F::–
–::: (INDEX) :::–

S.NO.	Description	Page No.
1.	Heading of Judgment	1
2.	Appearance of Advocates	1
3.	Charge	2–3
4.	Admitted Facts	3
5.	Prosecution Story	3–4
6.	Reasons and findings	4–5
7.	Sentence	––
8.	Period of Detention & Set–Off	NA
9.	Disposal of Property	––
10.	Order of Compensation	NA
11.	Certificate under section 428 CrPC	6
12.	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment of fine)	NA
13.	Copy of Judgment	1

::– निर्णय –::
आज दिनांक 09/02/2026 को घोषित

(01) अभियुक्त प्रवीण जैन के विरूद्ध धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि, उसने घटना दिनांक 29/07/2022

को समय 11:00 बजे स्थान ग्राम नारी पेट्रोल पंप के सामने अंतर्गत थाना कुरूद, जिला–धमतरी (छ०ग०) लोकमार्ग पर कार क्रमांक सी०जी० 04/एन.यू./2769 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चालते हुये मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया तथा प्रार्थी देवेन्द्र साहू को सामने से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर चोंट पहुंचाकर साधारण उपहित कारित किया।

(02) प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है आरेापी प्रवीण जैन ने अपराध के संघटकों को समझकर अपराध स्वेच्छया पूर्वक किया जाना स्वीकार किया है।

(03) अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि,घटना दिनांक 29.07.2022 के सुबह करीबन 11.00 बजे प्रार्थी देवेन्द्र कुमार साहू अपने कार महेन्द्रा KUV 100 क्रमांक CG 04 LF 3125 से कुरूद से काम से जा रहा था कि ग्राम नारी पेट्रोल पंप के पास पहुंचा था कि सामने कुरूद की ओर से आ रही मारूति स्विफ्ट डीजायर कार क्रमांक CG 04 NU 2769 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाते लाकर प्रार्थी के कार को सामने से ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट करने से प्रार्थी के सिर, सीना के नीचे, बांये, पैर के घुटने में चोट लगने तथा कार क्षतिग्रस्त होने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रार्थी

की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना प्रारंभ की गई। गवाहों का बयान दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने पर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(04) आरोपी प्रवीण जैन पर धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध विवरण विरचित कर पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने स्वेच्छयापूर्वक जुर्म करना स्वीकार किया, जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी के विरूद्व प्रकरण में कोई वैधानिक बाधा या त्रुटि नहीं है अभियोग पत्र निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत किया गया ।

(05) अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी प्रवीण जैन के विरूद्व धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध प्रमाणित पाया जाता है अतः आरोपी को उक्त धारा के तहत दोष सिद्व किया जाता है।

(06) प्रकरण की परिस्थितियो एवं आरोपी की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते **"दोषसिद्ध"** करते हुये आरोपी को धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में क्रमशः 1,000/-रूपये एवं 500/-रूपये कुल 1,500/-रूपये के

अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को उपरोक्त धाराओं में क्रमशः 04 दिन और 01 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे।

(07) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन स्वीप्ट डिजायर कार क्र. सी०जी० 04/एन.यू./2769 को मय दस्तावेज पंजीकृत स्वामी को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया जा चुका है। अपील अवधि पश्चात सुपुर्दार के पक्ष में स्वतंत्र मानी जावे।

(08) अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के लिये धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

(09) अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि की धारा 363(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।	मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
(रजत कुमार निराला) **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद,** **जिला–धमतरी (छ.ग.)**	**(रजत कुमार निराला)** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद,** **जिला–धमतरी (छ.ग.)**

RAJAT KUMAR NIRALA
Digitally signed by RAJAT KUMAR NIRALA
Date: 2026.02.09 13:39:03 +0530

धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत् तालिका

राज्य वि0 प्रवीण जैन

अभियुक्त का नाम	प्रवीण जैन, पिता अशोक जैन, उम्र 24 वर्ष, निवासी एम.जी.वार्ड जिला पंचायत के पीछे कांकेर थाना व जिला कांकरे (छ.ग.)
गिरफ्तारी दिनांक	17/08/2022 समय 13:50 बजे
पुलिस अभिरक्षा की अवधि	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	निरंक

मेरे निर्देश पर टंकित

दिनांक–09/02/2026
स्थान–कुरूद

(रजत कुमार निराला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद,
जिला–धमतरी (छ.ग.)

RAJAT KUMAR NIRALA
Digitally signed by RAJAT KUMAR NIRALA
Date: 2026.02.09 13:39:12 +0530